



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक : 04.02.2025

कार्यालय आदेश सं.04/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने टी बोर्ड उप-नियम, 1955 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति के तहत टी बोर्ड, सिलीगुड़ी के उप निदेशक चाय विकास द्वारा आमतौर पर रखी गई सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को श्री सुबीर कुमार पॉल, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी के पक्ष में 01.02.2025 की पूर्वाह्न से, उनके व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर, तब तक के लिए सौंप गया है जब तक कि टी बोर्ड, सिलीगुड़ी के उप निदेशक चाय विकास का पद नियमित पदधारी द्वारा नहीं भरा जाता है या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन कि वह उस कार्यालय के अग्रिम खातों का रख-रखाव और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, टी बोर्ड उप-नियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

उक्त व्यवस्था पूर्णतः तदर्थ है तथा तब तक लागू रहेगी जब तक उप निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी का पद नियमित पदधारी द्वारा नहीं भरा जाता है या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, जो भी पहले हो। हालांकि, श्री पाल, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त उ.नि.चा.वि, सिलीगुड़ी के पद पर कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी भी वित्तीय लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	श्री सुबीर कु. हाजरा, उ.नि.चा.वि, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
2.	श्री सुबीर कु. पॉल, फा.स.अ, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
3.	निर्देशक चाय विकास	
4.	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	
5.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
6.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
7.	उपाध्यक्ष के सचिव/ वि.स. एवं मु.ले.अ.एवं सचिव के निजी सहायक	
8.	सचिवालय शाखा	
9.	आई.टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
10.	टीबीईए	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. फाइल सं.11(4)/स्था/2023